email:- forcejhq@gmail.com

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः स्था./4/वा.चा./2010/ 71216-232 दिनांकः- 26-2-2020

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 के अन्तर्गत कारागार विभाग में वाहन चालक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को वाहन चालक के पद पर चयन किये जाने की अभिशंषा के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तो के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर उनके नाम के सामने अंकित कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है। नवनियुक्त वाहन चालक को एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 12.03.2020 को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागृहों पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे:-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	श्री भगवत सिंह चौहान पुत्र श्री भारत सिह	सामान्य	25.11.1983	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
2.	श्री विजेन्द्र सिह राजावत पुत्र श्री बहादुर सिंह राजावत	सामान्य	10.07.1994	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
3.	श्री ओमेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह	एस.सी.	01.01.1993	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
4.	श्री सुख राम पुत्र श्री गोपी राम	सामान्य (भू.पे.सै.	12.02.1979	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर

E.O.B.- 264
26-2-2020

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 14600/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही वाहन चालक पद का पे मेट्रिक्स के लेवल-L-5 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
4. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

email:- forcejhq@gmail.com

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्ड्र वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
7. वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।
8. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।
9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वत: ही निरस्त माना जावेगा।
10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।
12. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।
13. अभ्यर्थियों को पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
14. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 12.03.2020 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वत: ही निरस्त समझी जावें।

ह०
(एन.रविन्द्र कुमार रेड्डी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर/उदयपुर/अजमेर/अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को कारागार विभाग के संबंध में 15 दिवस का आधारभूत

email:- forcejhq@gmail.com

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दिनांक 16.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त अभ्यर्थियों से नियुक्ति आदेश में वर्णित शपथ पत्र/दस्तावेज भी लिया जाना सुनिश्चित करें।

6. अधीक्षक, प्रशिक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. श्री .... को प्रेषित कर लेख है कि दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ-पत्र, सलंग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एवं मेडीकल के समय प्रस्तुत फोटो 6 प्रति में आवश्यक रूप लेकर निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन कारागृह पर दिनांक 12.03.2020 को आवश्यक रूप से देवें। (शपथ-पत्रों के प्रारूप संलग्न है)
8. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।
9. कम्पयूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर